

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 81/2025

महेश कुमार भट्ट

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उदयपुर मण्डल जिला उदयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, चित्तौडगढ।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौडगढ।
6. प्रधानाचार्य/पीईईओ महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, चिकरदा (Chikarda), ब्लॉक डूंगला (Dungla), चित्तौडगढ।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भावला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड—IIIA लेवल—IIA, सामाजिक विज्ञान के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, चिकरदा (Chikarda), ब्लॉक डूंगला (Dungla), चित्तौडगढ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक—1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फलोदरा (Falodra) डूंगला (Dungla), चित्तौडगढ में करीब 60 किमी दूर किया गया है तथा आलोच्य कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 11.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर अधिशेष कार्मिक नहीं है। अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष होना मानते हुए स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग की नीति के अनुसार अपीलार्थी को पास के ही ब्लॉक में स्थानांतरित

किया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को उसी ब्लॉक में दूर स्थानांतरित किया गया है, जो उचित नहीं है।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का विद्यालय क्रमोन्नत हो जाने के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष माना गया है तथा अपीलार्थी को उसी ब्लॉक एवं उसी जिले में पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी को अधिशेष माने जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि-विरुद्ध तरीके से पारित किया गया हो।
5. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य